

4/23

सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए
आवेदन दिये जाने पर अपीलकर्ता को
तारीख दे ली है अपीलकर्ता को
जो शर्तें रखी हैं।

उपरोक्त शर्तों को पढ़कर अपीलकर्ता को
उस पर मसन दिया गया। अपीलकर्ता
उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं तारीखों
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

बाद मसन एवं अवलोकन के
स्फुट हैं कि प्रकरण इन्फ्रान्जुसन्स
से संबंधित न होकर आसंगत से
अपील से संबंधित है।

अतः न्यायालय में उपरोक्त
उपरोक्त - पत्र खारिज किया जाता है
एवं पत्रावली फ़ैल की जाकर दाखिल
दफ़तर की जाती है।

Wp
उप जिला फ़ौजदारी
चौथ का दरवाज़ा

